04/5/18

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।

कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस अन्तरिम प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुये बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07/2/18 के अनुसार अप्रार्थी सख्या 1 का प्रार्थना पत्र कायम मुकाम प्रस्तुत होने पर प्रकरण उसके जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 13/4/18 नियत की गई थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13/4/2018 को उक्त कायम मुकाम प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिये बिना ही अप्रार्थी स. 1 के वारिस रामकिशन को उपस्थित बताकर उसकी मनमाने रूप से सहमति अंकित कर खुद व्यक्ति के विरूद्ध ही आदेश दिनांक 19/4/17 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म करने का आदेश विधि विरूद्ध पारित कर दिया गया। अतः कानून के सुस्थापित सिद्धांतो के विपरित बिना विधिक प्रक्रियाऐं अपनाऐ पारित किये गये आदेश जेर अपील को निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09/2/18 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी स.1 का प्रार्थना पत्र कायम मुकाम प्रस्तुत हुआ एवं उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 13/4/18 नियत की गई किन्तु सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष नियत दिनांक 13/4/18 को प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पर कोई आदेश पारित किये बिना ही अप्रार्थी स.1 के वारिस रामकिशन जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित ही नही हुआ था, के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवा कर उसकी सहमति दर्ज करते हुये अन्तरिम आदेश दिनांक 19/4/17 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म कर दिया गया, जो उचित प्रतीत नही होता है। अतः विधिक प्रक्रियाऐ अपनाये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जेर अपील दिनांक 13/4/18 त्रुटिपूर्ण प्रतीत होने से खारिज किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्पूर्ण विधिक प्रक्रियाऐ अपनाते हुये उभयपक्षो को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर ~~[illegible]~~ सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। प्राधिकारी	